न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-378 / 09</u> <u>संस्था0दि0 09 / 12 / 09</u> फाई लनं.233504000082009

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध:-

- उत्तमराव पिता बाजीराव माकोड़े, उम्र 45 वर्ष, जाति कुन्बी, पेशा प्रायवेट नौकरी, नि0 घाटबिरोली, हॉल नि0 न्यू गोविन्द कालोनी बानगंगा उज्जैन नाका के पास, म0नं0 385 इंदौर (म0प्र0)
- 2. झामोबाई लोखण्डे पति झब्बूराव, उम्र 52 वर्ष, जाति कुन्बी, नि0 गोपालतलाईपट्टन, थाना मुलताई, हॉल नि0 इंदौर (म0प्र0)

--- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: **निर्णय**:—</u> (आज दिनांक 29 / 11 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए", 494 के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 29/11/94 से 04/12/2009 के मध्य इंदौर में फरियादी उर्मिला माकोड़े का पित व पित के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर कुरता कारित की। आपने यह जानते हुये कि आपकी पत्नी जीवित है, गुन्ताबाई नाम की दुसरी स्त्री से विवाह किया।
- 2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी की शादी उत्तमराव के साथ 29/05/94 को आमला में जातिगत रिति रिवाजों से हुई थी माता पिता द्वारा उनके हैसियत अनुसार उपहार दिये गये थे उसके पित ने लगभग 6 महीने तक उसे ठीक से रखा इसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके पित दहेज के लिये उसे तंग करने और मारपीट करने लगे। उसके पित उसे 50 हजार रूपये, मोबाईल, कुलर, फिज, टी०वी०, गाडी की मांग को लेकर लकड़ी से उसे बहुत मारते थे और कहते थे की तेरे मायके से यह सब ला दे तुझे नहीं मारेगें। अगर यह नहीं लाकर देगी तो उसे जान से मार डालेगा। उसकी ननद झामोबाई भी उससे कहती थी कि उसके मायके से उसके भाई को कोई दहेज नहीं मिला तो उसके मायके से उसके भाई को 50 हजार रूपये, मोबाईल, कुलर, फिज और गाड़ी लाकर दे दे, तो उसका भाई उससे तंग करना बंद कर देगा नहीं तो उसका भाई मार डालेगा। उसने उक्त बातें उसकी माँ, भाई मोहन, भतीजा प्रिंस, तथा दामाद हेमराज को बताई थी। जब उसके मायके वालों ने उसके पित और ननद की दहेज की मांग को पूरा नहीं किया तो उसके पित ने ग्राम सावंगी की गुन्ताबाई से दुसरी शादी कर ली। उसके पित

से उसका तलाक नहीं हुआ है। इस तरह उसका पित और ननद उसको दहेज की मांग को लेकर तंग करते एवं मारपीट करते थे। थोडे समय पहले माह जून में उसके पित और ननंद ने उसको दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर इंदौर के घर से निकाल दिया और दिनांक 01/07/2009 को उसके पित ने गुन्ताबाई से दूसरी शादी कर ली।

- 3— फरियादी का लिखित का आवेदन प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 2 है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 417/09 भा.द.सं धारा—498 "ए", 494, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—''क्या आपने दिनांक 29/11/94 से 04/12/2009 के मध्य इंदौर में फरियादी उर्मिला माकोड़े का पति व पति के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर क़ुरता कारित की?''

2—''उक्त दिनांक समय स्थान पर आपने यह जानते हुये कि आपकी पत्नी जीवित है, गुन्ताबाई नाम की दुसरी स्त्री से विवाह किया?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

7— अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई माकोड़े (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जब वह पहली बार इंदौर गई तब वहां आठ दिन ठीक से रही उसके बाद जब वह दुबारा इंदौर गई तो उसका पित उसकी नंनद झामोबाई उससे पचास हजार रूपये फिज, कूलर, टी०वी०, गाडी की मांग करने लगे और मारपीट करने लगे और उससे कहते थे कि उसके मायके से यह सब लोग बीच—बीच में घाट बिरोली आते थे वहां भी आरोपीगण उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट लड़ाई झगड़ा करते थे। उसने मायके में पूरी घटना उसकी मां, भाई मोहन, भितजा प्रिंस, दमाद हेमराज आदि लोगों को पूरी बात बताई। उसके पित ने उससे तलाक लिये बिना इंदौर के पास की गुन्ताबाई से दुसरा विवाह कर लिया। वर्ष 2009 में उसके पित ने उसे घर से निकाल दिया। उसके मायके आमला में रह रही है। दोनों आरोपी उसे अटैची में पटक पटक कर मारते थे। उसका 10 साल का बच्चा आमला में ही रहता है। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी। उसकी लिखित शिकायत प्र0पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 2 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिए थे। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि उत्तम माकोडे के घर में दुसरी औरत है और उसका नाम गुन्ताबाई माकोड़े है, ऐसा उसे मालूम पड़ा है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि जब उसे मालूम पड़ा कि आरोपी उत्तमराव ने गुन्ताबाई को रख लिया है, तब उसने पुलिस में गुन्ताबाई की और उत्तमराव की रिपोर्ट की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि गुन्ताबाई के साथ नहीं रहता तो वे उसकी रिपोर्ट नहीं करते। आगे यह भी स्वीकार किया है कि दहेज का कोई विवाद नहीं था उन्होंने तो दुसरी शादी की रिपोर्ट की थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त उत्तमराव माकोड़े के द्वारा गुन्ताबाई नाम की दूसरी औरत रखा है औरा उक्त बात सूनी सूनाई बातों पर बता रही है। साथ ही गुन्ताबाई को अभियुक्त के रखने को लेकर ही विवाद है दहेज का कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि गुन्ताबाई के उत्तमराव के रहने के पूर्व उसने या उसके परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त गण के विरूद्ध दहेज प्रताडना की या कोई अन्य शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि शादी में दहेज नहीं मांगा शादी के पहले दहेज नहीं मांगा। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अगर गुन्ताबाई उसके बीच में नहीं आती तो वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती और दहेज की कोई रिपोर्ट नहीं करती। आगे यह भी स्वीकार किया है कि सारा विवाद गुन्ताबाई को लेकर है दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा गुन्ताबाई नाम की महिला को रखने का ही विवाद है दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं है। अर्थात प्र०पी० 1 एवं मुख्यपरीक्षा के न्यायालयीन कथन में जो तथ्य बताये गए है उक्त तथ्य अभियुक्त को झूठा फंसााने की मंशा से बताए गए है जो वास्तविक विवाद है वह गुन्ताबाई को लेकर है। भा0द0वि0 की धारा 498 ''ए'' यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी स्त्री या पति या पति के नातेदार होते हुये ऐसी स्त्री के पति कुरता करेगा। उसी प्रकार भा०द०वि० की धारा ४९४ यह उपबंधित करती है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है। उक्त अधिनियम अनुसार पहली पत्नी के जीवित

11— फरियादी उर्मिला माकोड़े ने स्वयं प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि उत्तमराव माकोड़े के घर में दुसरी औरत है और उसका नाम गुन्ताबाई माकोड़े है ऐसा मालूम पड़ा है। अर्थात् सुनी सुनाई बातों पर इस गवाह ने अभियुक्त उत्तमराव के साथ गुन्ताबाई रह रही है, ऐसा इस गवाह ने बताया है किन्तु फरियादी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उत्तमराव ने दुसरा विवाह विधि मान्य तरीके से किया हो और गुन्ताबाई उसकी दुसरी बाई पत्नी हो।

रहते हुये पति के द्वारा दुसरा विवाह किया जाना और वह विवाह भी विधिमान्य तरीके से

किया गया हो।

12— अभियोजन की ओर से गुन्ताबाई (अ०सा०६) की साक्ष्य पेश की गई है जिसने घटना का समर्थन नहीं किया है अपनी मुख्यपरीक्षा में व्यक्त किया है कि आरोपी उसका पित नहीं है आरोपी से उसकी जान पहचान है और सूचक प्रश्नों में प्र०पी० 3 के ए से ए भाग का बयान दिया था। यह भी अस्वीकार किया है। जबिक यह गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किया गया है और उक्त गवाह बहुत महत्वपूर्ण साक्षी है। उक्त साक्षी यह स्पष्ट कर सकता था कि वह अभुयक्त की पत्नी है और अभियुक्त ने उसके साथ दुसरा विवाह

विधि मान्य तरीके से किया है। किन्तु इस गवाह के द्वारा दुसरा विवाह अभियुक्त से होने से या उसका पति अभियुक्त है, स्पष्ट रूप से इंकार किया है जो कि अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है।

13— अभियोजन साक्षी शांताबाई (अ०सा०२) फरियादी का की माँ है। अभियोजन साक्षी मोहन (अ०सा०३) फरियादी का भाई है। अभियोजन साक्षी हेमराज धोट (अ०सा०४) फरियादी उर्मिलाबाई उसकी अक्कड सास है। अभियोजन साक्षी प्रिंस (अ०सा०५) फरियादी उर्मिला उसकी बुआ है। इस प्रकार उक्त साक्षी फरियादी के हितबद्ध साक्षी है। उक्त गवाहों ने दहेज में 40 हजार रूपये, टी०वी०, फिज, मोबाईल, गाड़ी की मांग करते थे और फरियादी के साथ मारपीट करते थे, के तथ्यों का समर्थन किया है।

अभियोजन साक्षी शांताबाई (अ०सा०२) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शादी में दहेज का कोई विवाद नहीं था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि शादी के पहले कोई विवाद नहीं था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी गुन्ताबाई आरोपी के घर आई है, तब से ही उसकी लड़की आरोपी के घर नहीं जाती है। उसने आरोपी की दूसरी शादी की शिकायत की थी दहेज का कोई विवाद नहीं था। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी मोहन (अ०सा०३) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि यदि गुन्ताबाई आरोपी के घर में नहीं आती तो अभियुक्तगण के खिलाफ रिपोर्ट क्यों करते है। अभियोजन साक्षी हेमराज (अ०सा०४) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका ४ में स्वीकार किया है कि दहेज की कोई मांग नहीं की थी। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रिंस (अ0सा05) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसे उत्तमराव ने कभी कोई दहेज नहीं मांगा, जब उसकी शादी हुई थी तब वह 5 साल का था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति में कभी भी अभियुक्तगण ने उसकी बुआ के साथ दहेज बाबत कोई शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना नहीं दी। इस प्रकार उक्त गवाहों के द्वारा प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा गुन्ताबाई नाम की दुसरी महिला को उसके साथ में रखने को लेकर ही विवाद था। दहेज संबंधी मांग को लेकर अभियुक्तगणों के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया गया।

15— अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अभियुक्त उत्तमराव ने दुसरा विवाह हिन्दू रिति रिवाज या विधि मान्य तरीके से की हो और उसकी दुसरी पिन गुन्ताबाई नाम की महिला है। अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य जो कि अभियुक्त उत्तमराव के द्वारा दुसरा विवाह किया हो, जिसमें वे लोग सिम्मिलित हुये हो, जिन्होंने अभियुक्त को दुसरा विवाह करते देखा हो या जहां पर अभियुक्त उत्तमराव रहता है उसे गुन्ताबाई के साथ विवाहित पत्नी की तरह रहते हुये देखा हो, जिससे की अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 494 के तथ्य स्पष्ट हो सके। अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त उत्तमराव ने विधि मान्य तरीके से दुसरा विवाह किया और गुन्ताबाई नाम की महिला उसकी विवाहित पत्नी है।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी उर्मिला माकोड़े का पित व पित के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर क़ुरता कारित की। और उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने यह जानते हुये कि आपकी पत्नी जीवित है, गुन्ताबाई नाम की दुसरी स्त्री से विवाह किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

17— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी उर्मिला माकोड़े का पित व पित के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर क़ुरता कारित की। और उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने यह जानते हुये कि आपकी पत्नी जीवित है, गुन्ताबाई नाम की दुसरी स्त्री से विवाह किया। इस प्रकार अभियुक्तगण उत्तमराव, झामोबाई को भा0द0वि0 की धारा—498 ''ए'', 494 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0